Speed Post

No. 1/7/2011- VS -CRS

भारत सरकार/

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय/

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, रामकृष्ण पुरम्, नई दिल्ली - 110066

V.S. Division, West Block –I, R.K. Puram, New Delhi – 110066

Tele-fax: 26104012 E-mail – drg-crs.rgi@censusindia.gov.in

Dated: 15-05-2015

To

All Chief Registrar of Births & Deaths

Sub: Clarification on making/ changing entries in birth record of Children taken on adoption.

Sir,

Please refer this office letter of even number dated 12th March, 2012 vide which instructions were issued on framing the procedure for making/ changing entries in birth record of children taken on adoption. Later on, taken into consideration the 2011 CARA guidelines, a clarification was issued by this office letter of even number dated 25th August, 2014 through which submission of adoption deed and adoption order (both) has been made mandatory for registration of birth of children taken on adoption and issue of birth certificate to them.

2. In response to the aforesaid clarification, this office has received certain queries on submission of adoption order and adoption deed in respect of non-institutional adoptions. In this regard, it has been quoted that non institutional adoptions are taken place under the provision of 'Hindu Adoption and Maintenance (HAMA) Act, 1956" and under Section 16 of this Act; the need for production of adoption deed i.e document registered under any law and signed by both parties is sufficient . In this regard, the authenticity of the adoption deed would have to be checked only with the criteria prescribed under the HAMA Act.

3. In order to address the difficulties in producing the adoption order by general public in case of adoption within relatives/ acquaintances, the matter has been reviewed and also *discussed* with the Central Adoption Resource Authority (CARA) of Ministry of Women & Child Development. Accordingly, **it has been decided that for in country non-institutional adoptions took place within relations or acquaintances, registered adoption deed is enough, there would be no need to produce adoption order of a court for such cases.**

4. However, before registering or making corrections in the birth record, the correctness of the adoption deed should be verified by the Registrar of births and deaths and if adoption deed is found to be valid duly registered before the Sub Registrar authorized by the State Government, the concern Registrar should make necessary changes in the birth record on the

basis of the information given in the adoption deed and insert the name of adoptive parents and child and issue the birth certificate of the adopted child. *Further, it is also clarified that in case of non-institutional event, if a adopted child is more than one year old and his/ her birth is not-found registered earlier then as per the prescribed procedure of section 13 (3) of the Registration of Births and Deaths (RBD) Act 1969 an order of local Magistrate under the Delayed registration provision should also be obtained before registering the said event.*

5. In view of the above facts and taken into consideration the difficulties faced by the public in getting the birth certificate of adopted children, you are requested to direct the aforesaid contents to the concerned authorities and direct them to issue the birth certificate of adopted children on priority basis and ensure that desired birth certificate should be issued within 7 to 10 days from the date of submission of documents by the adoptive parents to the concerned Registrar. This office may be appraised about the action taken in this regard.

Yours faithfully

S/d
(P. A. Mini)
Deputy Registrar General (CRS)

IndiaCode

No. 1/7/2011- VS –CRS, New Delhi, Dated 15-05- 2015

Copy forwarded to the concerned DCO's for information and necessary action.

S/d
(P. A. Mini)
Deputy Registrar General (CRS)

हिंदी रूपांतर

स्पीड पोस्ट

सं.1/7/2011 - वीएस - (सीआरएस)

भारत सरकार
Government of India
गृह मंत्रालय
Ministry Of Home Affairs
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
Office of The Registrar General, India
जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खंड-1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली– 110066
V.S. Division, West Block-I, R.K. Puram, New Delhi-110066
टेली.-फैक्स:26104012 Tele.-Fax:26104012 drg-crs.rgi@censusindia.gov.in

दिनांक: 15.05.2015

सेवा में,

सभी मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु।

IndiaCode

विषय: दत्तक-ग्रहण किए गए बच्चों के जन्म रिकार्ड में प्रविष्टि/परिवर्तन करने विषयक स्पष्टीकरण।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 12 मार्च, 2012 के समसंख्यक पत्र का संदर्भ लें जिसके द्वारा दत्तक किए गए बच्चों के जन्म रिकार्ड में प्रविष्टि करने/परिवर्तन करने से संबंधित कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे। बाद में, 2011 के केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संचालन प्राधिकरण (कारा) (CARA) के दिशा-निर्देशों पर विचार करते हुए, इस कार्यालय ने दिनांक 25 अगस्त, 2014 के समसंख्यक पत्र द्वारा एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था जिसके द्वारा गोद लिए गए बच्चों के जन्म के पंजीकरण और उन्हें जन्म प्रमाणपत्र जारी करने के लिए दत्तक-ग्रहण विलेख और दत्तक-ग्रहण आदेश (दोनों) का प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया था ।

2. उपर्युक्त स्पष्टीकरण की प्रतिक्रिया में, गैर-संस्थागत दत्तक-ग्रहण के संबंध में दत्तक-ग्रहण आदेश और दत्तक-ग्रहण विलेख प्रस्तुत करने के संबंध में कुछ प्रश्न/शंकाएं इस कार्यालय में प्राप्त हुई थी । इस संबंध में, यह उद्धृत किया जाना है कि गैर-संस्थागत दत्तक-ग्रहण "हिन्दू दत्तक-ग्रहण और भरण-पोषण (एचएएमए) (HAMA) अधिनियम, 1956" के प्रावधान के अंतर्गत किए जाते हैं और इस अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत; केवल दत्तक-ग्रहण विलेख अर्थात किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत और दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज प्रस्तुत करना ही पर्याप्त है। इस संबंध में, दत्तक-ग्रहण विलेख की प्रामाणिकता की जांच केवल एचएएमए अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों के आधार पर ही करनी पड़ेगी।

3. संबंधियों/परिचितों में दत्तक लेने के मामले में, सामान्य जनता द्वारा दत्तक-ग्रहण आदेश प्रस्तुत करने में आ रही कठिनाईयों को दूर करने के लिए इस मामले की समीक्षा की गई तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय के केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के साथ विचार-विमर्श भी किया गया है । तदनुसार, **यह निर्णय लिया गया है कि देश के अन्दर संबंधियों अथवा परिचितों में से गैर-संस्थागत दत्तक-ग्रहण के लिए पंजीकृत दत्तक-ग्रहण (Adoption deed) विलेख पर्याप्त है । ऐसे मामलों के लिए किसी न्यायालय के दत्तक ग्रहण आदेश प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी ।**

4. फिर भी, जन्म रिकार्ड में शुद्धियां करने अथवा पंजीकृत करने से पहले, दत्तक-ग्रहण विलेख की सत्यता जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित की जानी चाहिए और यदि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत उप रजिस्ट्रार के समक्ष विधिवत पंजीकृत दत्तक-ग्रहण विलेख वैध पाया जाता है तो संबंधित रजिस्ट्रार को दत्तक-ग्रहण विलेख में दी गई सूचना के आधार पर जन्म रिकार्ड में आवश्यक परिवर्तन करने चाहिए और दत्तक माता-पिता और बच्चे का नाम दर्ज करके दत्तक बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए । *इससे आगे, यह भी स्पष्ट किया गया है कि गैर-संस्थागत घटना के मामले में, यदि दत्तक बच्चे की आयु एक वर्ष से अधिक है और उसका जन्म पहले से पंजीकृत नहीं पाया गया है तब जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम,1969 की धारा 13(3) की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विलंबित पंजीकरण प्रावधान के अंतर्गत स्थानीय मजिस्ट्रेट का आदेश भी उक्त घटना के पंजीकरण से पहले प्राप्त कर लेना चाहिए ।*

5. उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और दत्तक बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सामान्य जनता के सामने आने वाली कठिनाईयों के मद्देनजर आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त विषयवस्तु को संबंधित अधिकारियों को भेजें और उन्हें निदेश दें कि दत्तक बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र प्राथमिकता के आधार पर जारी करें और सुनिश्चित करें कि दत्तक माता-पिता द्वारा संबंधित रजिस्ट्रार को दस्तावेज के प्रस्तुत करने की तारीख से 7 से 10 दिनों के अन्दर वांछित जन्म प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाए । इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करवाएं ।

भवदीया

पी.ए.मिनी

(पी.ए.मिनी)
उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस)

प्रति प्रेषित:- संबंधित जनगणना कार्य निदेशालयों को सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई के लिए ।

पी.ए.मिनी

(पी.ए.मिनी)
उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस)

IndiaCode